



अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विविध काव सं० 11 (II) / 2017-18

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
<p>20/11/17</p> <p>03/11/17</p>	<p>आवेदक श्री चन्द्रशेखर अग्रवाला निदेशक सृष्टि विल्डर प्रा० लि० उर्मिला टॉवर के द्वारा मौजा धनबाद खाता सं० 157 प्लॉट सं० 2359 एवं खाता सं० 07, 50 प्लॉट सं० 2360 एवं 2361 दोनों खाता का कुल रकबा 13.65 कट्टा से संबंधित है। जिसमें आवेदक को लगान रसीद तथा जमाबंदी को नियमित करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें। अभिलेख दिनांक 03/11/17 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, धनबाद। </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। राजस्व कर्मचारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि प्रश्नगत मूमि मौजा धनबाद मौजा न० 51, खाता न० 157, 07, 50 प्लॉट सं० 2359, 2360, 2361 रकबा 13.65 कट्टा से संबंधित है। खाता सं० 157 प्लॉट सं० 2359 गैरआवादा मालिक खाते की है तथा खाता सं० 07 एवं 50 प्लॉट सं० 2360 एवं 2361 रैयती खाते की है। खाता सं० 157 सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सिंह से दलील सं० 7530 एवं 7532 दिनांक 09.11.45 में राय वहादूर वली राम तनेजा ने प्राप्त किया था। तत्पश्चात् जमाबंदी सं० 472 एवं 473 श्री तनेजा के नाम दर्ज हुआ। श्री तनेजा ने वर्ष 1952 में निबंधित दलील सं० 682 के द्वारा मंत्री झरिया धनबाद गोशाला से प्राप्त कर दाखिल खारिज केश सं० 8(111) 68-69 के दखलकार हुए। अपर समाहर्ता, धनबाद के आदेश दिनांक 26.02.93 तथा अंचल अधिकारी के पत्रांक 599 दिनांक 03.05.93 के आलाोक में मंत्री झरिया धनबाद गोशाला के नाम से जमाबंदी दर्ज की गयी। मंत्री झरिया धनबाद गोशाला से आवेदक निबंधित दलील सं० 3882 दिनांक 13.01.2010 के द्वारा प्राप्त कर दाखिल खारिज केश सं० न० 1363 (111) 12-13 के तहत सृष्टि विल्डर्स प्रा० लि० उर्मिला टॉवर डायरेक्टर चन्द्रशेखर अग्रवाला के नाम से जमाबंदी सं० 4870 में लगान रसीद निर्गत होता है। जमीन पर क्रेता का (आवेदक) कब्जा है।</p> <p>प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन सही है इसलिए उक्त जमाबंदी सं० 4870 को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अतः अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु मूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, धनबाद। </p>	

श्रीवार्म
श्रीमान् अंतल अधिकारी,
जनवाद।

(37)

द्वारा: अंतल निरीक्षक, जनवाद।

विषय: मौजा जनवाद (51) के जाता सं० 157, 7 एवं 50, प्लॉट सं० 2359, 2360, 2361 रकता 18.65 कट्टा श्रीवार्म निरीक्षण
जोत्त प्रतिवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्धी दफ्तर में उपलब्ध राजस्व कागजातों से जोत्त विज्ञापन क्रम में पाया कि प्रस्तावित जमीन मौजा जनवाद मौजा सं० 51 जातार्थ सं० 157, 7, 50 प्लॉट सं० 2359, 2360, 2361 रकता 18.65 कट्टा से सम्बन्धित है। एतत् सं० 157 प्लॉट सं० 2359 जैरामाबाद माछि, बट्टी की है तथा खत सं० 7 एवं 50 प्लॉट सं० 2360 एवं 2361 बेंगरी खतों की है जात सं० 157 सर्वप्रथम राजा बिल प्रताप सिंह से दजील सं० 7530 प्राप्त किया था। स्वतन्त्रता के बाद सं० 442, एवं पत्र सं० श्री वनेजा के नाम दर्ज हुआ। श्री वनेजा ने वर्ष 1952 में निर्दिष्ट दजील सं० 682 के द्वारा मंत्री झरिया जनवाद जोशाला ने प्राप्त कर दाखिल सारिज के सं० 8(III) 68-69 के द्वारा दखलान कर प्राप्त किया। सपर समाप्ती जनवाद के आदेश दिनांक 26/02/93 तथा अंतल अधिकारी के पत्र सं० 599 दि० 03. 5.93 के आदेशों में मंत्री झरिया जनवाद जोशाला के नाम से जमापदी दर्ज की गई। मंत्री झरिया जनवाद जोशाला से आवेदक निर्दिष्ट दजील सं० 3882 दिनांक 13.01.2010 के द्वारा प्राप्त कर दाखिल कर सं० 1363(III) 2012-13 के तहत सृष्टि विहर्षी प्रा० लि० उमिल तवर 'दाखिल कर चन्द्रबेखर अग्रवाल के नाम से सं० सं० 4870 में जमान रसीद विहित होता है। जमान वर्ष 2013-14 तक निर्मित है। जमीन पर क्रेता का कब्जा है।

अतः आवेदक द्वारा समर्पित राजस्व कागजात के आलोचना में उक्त जमीन को निगमित करने हेतु जोत्त प्रतिवेदन समर्पित।

- संशुद्धिक:-
- ① दजील सं० 7530 एवं 7532
 - ② दजील सं० 682
 - ③ दजील सं० 3882, रसीद, सृष्टि विहर्षी प्रा० लि० उमिल कागजात

विश्वासोत्तम
Rc

किसी/ए/ज